न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, खाजूवाला जिला बीकानेर
पीठासीन अधिकारी :– श्योराम आर.ए.एस.
राजस्व वाद पत्र संख्या :–58/19

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व खाजूवाला जिला बीकानेर।

..... वादी

बनाम

जगदीश प्रसाद पुत्र जैसाराम जाति रेगर निवासी वार्ड 22 साहवा तहः तारानगर जिला चुरू

रामचन्द्र पुत्र डुंगरराम जाति नायक निवासी गीवनदेसर तहः सरदारशहर।

.....प्रतिवादी

उपस्थित अभिभाषकगण

1. पैरोकार राज तहसीलदार राजस्व खाजूवाला।
2. श्री नवीन कामरा. अधिवक्ता प्रतिवादी की ओर से।

रिमाण्ड वादपत्र अन्तर्गत धारा 175,177 आर.टी.एक्ट.

–:निर्णयः– **दिनांक :– 18.01.2023**

यह वादपत्र माननीय न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी बीकानेर के निर्णय दिनांक 02.07.2018 में पारित आदेश" पर इस न्यायालय में प्रकरण संख्या 58/19 पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर सुनवाई प्रारम्भ की गई। प्रकरण सं0 05/13 दिनांक 30.09.2014 को इस न्यायालय में निर्णित किया गया था तथा प्रतिवादी बतौर अपीलांट माननीय राजस्व अपील प्राधिकारी न्यायालय में अपील दायर की गई, माननीय न्यायालय द्वारा अपील स्वीकार करते हुवे इस न्यायालय के निर्णय दिनांक 30.09.2014 निरस्त कर दिया है तथा प्रकरण को इस निर्देश के साथ रिमाण्ड किया है कि अपीलांट को सुनवाई व साक्ष्य का समुचित अवसर देकर, वाद की प्रक्रिया अपनाकर निस्तारण करें। अतः प्रकरण को पुनः दर्ज किया जाकर वाद की प्रक्रिया प्रारम्भ की गई। रिमाण्ड पश्चात न्यायालय द्वारा वादी द्वारा प्रस्तुत मूलवाद, जवाबदावा, प्रस्तुत दस्तावेजात आदि का पुनः अवलोकन किया गया। जिसका ब्योरा निम्नप्रकार है।

वादी सरकार जरिये तहसीलदार खाजूवाला द्वारा प्रस्तुत मूल वाद का सार निम्नप्रकार है कि वादी का वाद निम्न आधारों पर प्रस्तुत है कि चक 2 बी.वाई.एम. बी के मु0नं0 105/30 के किला नं0 1 ता 23 की 22.14 बीघा में खातेदार रामचन्द्र पुत्र डूंगरराम जाति नायक निवासी गीवनदेसर द्वारा अवैध खनन करते होना पाया गया है। दावे के साथ पटवारी रिपोर्ट, नक्शा, जमाबंदी संलग्न किये गये है।

रिमाण्ड पश्चात प्रतिवादी जगदीशप्रसाद जरिये अधिवक्ता श्री नवीन कामरा द्वारा जवाब दिनांक 05.0422 को पेश किया गया जिसके अनुसार प्रार्थी/प्रतिवादी चक 2 बीवाईएम बी का मु0नं0 105/30 में 22.14 बीघा कमाण्ड भूमि का बोनोफाईड परचेजर है। प्रार्थी ने उक्त रकबा जरिये बैयनामा खरीद किया था। प्रार्थी ने जब भूमि खरीद की थी उस समय कुछ गड्डे भूमि पर थे लेकिन प्रार्थी ने भूमि को कृषि उपयोग के अलावा अन्य किसी उपयोग में नहीं लिया है। पटवारी द्वारा रिपोर्ट मुख्यालय पर बैठकर बनाई गयी तथा पटवारी द्वारा न तो खनन विभाग के किसी प्रतिनिधि को शामिल किया गया ना ही मौके के फोटोग्राफ प्रस्तुत किये। मौका रिपोर्ट पर केवल पटवारी के हस्ताक्षर है उसके अतिरिक्त मौके पर अन्य किसी व्यक्ति के ब्यान व हस्ताक्षर रिपोर्ट में अंकित नहीं है। हल्का पटवारी द्वारा अपने कार्यालय में ही बिना मौका जांच किये रिपोर्ट पेश की गयी थी। पीठासीन अधिकारी ने दिनांक 26.05.14 से दिनांक 05.09.14 तक पीठासीन अधिकारी ने नियमित रूप से कोर्ट नहीं लिया उसके बाद आनन–फानन में अचानक से दिनांक 30.09.2014 को निर्णय पारित कर दिया गया इससे स्पष्ट है कि बिना जांच किये खरीदशुदा भूमि को बिना वाद प्रक्रिया अपनाए आदेश पारित कर दिया गया। प्रार्थी/प्रतिवादी को जवाब का अवसर नहीं दिया गया जो प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्तों के विपरित है। पीठासीन अधिकारी को आदेश पारित करने से पूर्व तथ्यों की भलीभांति जांच की जानी थी लेकिन ऐसा नहीं किया गया केवल पटवारी की कार्यालय रिपोर्ट के आधार पर निर्णय पारित किया जो कि स्वंम में ही विरोधाभाषी है।

प्रतिवादी के उक्त जवाब उपरान्त न्यायालय हाजा द्वारा दिनांक 05.04.2022 को फर्दअहकाम में लिखा गया कि तहसीलदार रिपोर्ट 425/01.11.12, पटवारी रिपोर्ट 12.9. 12 पर गौर किया गया। इन रिपोर्ट्स में इस संबंध में कोई साक्ष्य नहीं है कि अवैध खनन कब किया गया। किस तरह से किया गया(क्या मौके पर कोई मशीनरी वगैरह थी) कितने एरिया और कितनी गहराई तक खनन किया गया था। क्या इस संबंध में कोई स्वतंत्र गवाह है। क्या इस संबंध में खनन विभाग द्वारा कोई कार्यवाही की गई थी। तहसीलदार खाजूवाला से इस संबंध में जवाब/साक्ष्य पेश हेतु निर्देशित किया गया किन्तु तहसीलदार ने कोई स्वतंत्र गवाह/साक्ष्य पेश नहीं किये व तहसीलदार द्वारा रिपोर्ट दिनांक 12.01.2023 व साथ संलग्न दस्तावेज प्रस्तुत किये जो शामिल पत्रावली किये गए। रिपोर्ट तहसीलदार अनुसार चक 2 बीवाईएम बी के मु0नं0 105/30 के किला नं0 1 ता 25 कुल रकबा 24.10 बीघा अराजीराज दर्ज है तथा राजस्व रिकॉर्ड में किसी भी न्यायालय के स्थगन संबंधि नोट का अंकन नहीं है। मौके पर मु0नं0 105/30 के किला नं0 1 ता 23 खाली है तथा वर्तमान में किसी भी प्रकार का अवैध खनन उक्त किलों में नहीं हो रहा है।

मूलवाद में वादपत्र, जवाबदावा के आधार पर तनकीयात कायम की गई जो कि निम्नानुसार हैः–

1. आया कि प्रतिवादी द्वारा वादगत भूमि पर बिना विधिक प्रक्रिया व बिना वैधानिक अनुमति के अवैध खनन कर भूमि का अकृषि कार्य में उपयोग लिया जा रहा है। खातेदार द्वारा आवंटन शर्तों का उल्लंघन किया गया है अतः खातेदारी खारिज की जाकर कब्जा बहक सरकार घोषित कर कब्जा सरकार को दिलाया जावे।

   ..... जिम्मे वादी

2. आया कि वादगत भूमि पर प्रतिवादी द्वारा वादगत भूमि पर कृषि कार्य किया जा रहा है और कब्जा काश्त है। प्रतिवादी द्वारा उक्त भूमि अवैध खनन नहीं किया जा रहा है इसलिए वादी का वाद खारिज फरमाया जावे।

   .... जिम्मे प्रतिवादी

वादी/राजपैरोकार द्वारा वाद के पक्ष में कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किये । राज पैरोकार के साक्ष्य/रिपोर्ट व साक्ष्य प्रतिवादी आ जाने तथा तनकी कायम की जाने के बाद उभयपक्ष ने सीधे बहस हेतु निवेदन किया। बहस में वकील प्रतिवादी ने अपने जवाबदावा के कथनों को दोहराते हुए निवेदन किया है कि मेरी कृषि भूमि में कोई खनन नहीं किया गया है व सिर्फ कृषि कार्य होता है और भूमि के स्वरूप को नुकसान पहुंचाने वाला कोई कार्य नहीं किया है जो कि तहसीलदार खाजूवाला की रिपोर्ट से भी साबित होता है। अतः मेरा जवाबदावा स्वीकार व बहस स्वीकार कर वाद वादी इसी स्तर पर खारिज फरमाया जाकर पूर्व स्थिति बहाल की जावे। राजपैरोकार ने वादपत्र के कथनों को दोहराते हुवे वादपत्र स्वीकार करने का निवेदन किया। बहस सुनी गई।

माननीय राजस्व अपील प्राधिकारी द्वारा इन्ही बातों को लेकर इस न्यायालय के आदेश दिनांक 30.09.2014 को निरस्त किया जा चुका है। राज्य पक्ष द्वारा इस अवधि में कोई ऐसे साक्ष्य नये तौर पर नहीं जुटाये है जो उनके वादपत्रों को मजबूती दे सके। राज्य पक्ष द्वारा माननीय राजस्व अपील प्राधिकारी के निर्णय को समझते हुए उनके द्वारा निर्धारित दिशा निर्देशों की पालना नहीं की है। प्रश्नगत भूमि पर अवैध खनन कब हुआ व किसके द्वारा किया गया एवं अपीलांट से कभी जिप्सम जब्त हुआ अथवा नहीं ? कोई स्वतंत्र साक्ष्य जो यह प्रमाणित करें कि वादगत भूमि से अपीलांट ने ही खनन किया है, पत्रावली पर पेश नहीं कर सका है।

पैरोकार राज को समुचित अवसर दिया कि वह वाद को साबित करने के लिये समुचित साक्ष्य, अभिलेख उपलब्ध करायें। वादी पक्ष को समुचित अवसर देने के बाद भी वादी पक्ष पैरोकार राज ने न तो कोई मौखिक साक्ष्य प्रस्तुत किया और न ही किसी तरह का लिखित दस्तावेज पेश किया है। वाद के निस्तारण में इस न्यायालय की यह अनुभूति रही है कि राज्यपक्ष ने वाद पत्र प्रस्तुत करके अपने दायित्व की इतिश्री मान ली है। चूंकि वादपत्र राज्यपक्ष के हित से प्रत्यक्ष रूप से जुड़ा हुआ था तथा ट्रायल कोर्ट के नाते वादपत्र पर बुनयादी कमियों के बावजूद राज्य पक्ष के सुविधा के सतुंलन को स्वीकार किया गया था। राजपैरोकार ने रिमाण्ड पश्चात भी प्रकरण में पुनः राज्य पक्ष की अनमने ढ़ग से पैरवी की है तथा राज्य पक्ष का भार भी न्यायालय पर डाला है।

प्रस्तुत वादपत्र, वादपत्र के साथ पेश दस्तावेज, जवाबदावा, मौका व रिकार्ड रिपोर्ट तहसीलदार 12.01.2023 का गम्भीरतापूर्वक अध्ययन करने व बहस उभयपक्ष पर मनन करने पर न्यायालय तनकीवार विवेचन के पश्चात इस निष्कर्ष पर पहुॅचा हैं कि तनकी संख्या 1 (आया कि प्रतिवादी द्वारा वादगत भूमि पर बिना विधिक प्रक्रिया व बिना वैधानिक अनुमति के अवैध खनन कर भूमि का अकृषि कार्य में उपयोग लिया जा रहा है। खातेदार द्वारा आवंटन शर्तों का उल्लंघन किया गया है अतः खातेदारी खारिज की जाकर कब्जा बहक सरकार घोषित कर कब्जा सरकार को दिलाया जावे) का भार जिम्मे वादी था जिसको मजबूत साक्ष्य सबूत दस्तावेज प्रस्तुत कर साबित करने में वादी/राजपैरोकार असफल रहा है क्योंकि प्रस्तुत रिमाण्ड वादपत्र व साक्ष्य स्वरूप रिपोर्ट तहसीलदार 12.01.2023 व वादपत्र प्रस्तुत के वक्त प्रस्तुत पटवारी रिपोर्ट परस्पर विरोधाभासी है। वही प्रतिवादी ने तनकी संख्या 2 (आया कि वादगत भूमि पर प्रतिवादी द्वारा वादगत भूमि पर कृषि कार्य किया जा रहा है और कब्जा काश्त है। प्रतिवादी द्वारा उक्त भूमि अवैध खनन नहीं किया जा रहा है इसलिए वादी का वाद खारिज फरमाया जावे) जिम्मे प्रतिवादी को साबित करने के पक्ष में पत्रावली में तहसीलदार रिपोर्ट 12.01.2023 जिम्मे प्रतिवादी तनकी सं0 2 को साबित करने में मजबूती प्रदान करती है।

वादी स्टेट जरिये तहसीलदार, राजस्व खाजूवाला रिमाण्ड वादपत्र के पक्ष में मजबूत साक्ष्य–सबूत दस्तावेज प्रस्तुत करने में व तनकी सं0 1 को साबित करने में असफल रहा है तथा प्रतिवादी के तनकी सं0 2 साबित हो जाने उपरोक्त परिपेक्ष में रिमाण्ड वादपत्र संख्या 58/19 सरकार बनाम जगदीशप्रसाद खारिज किया जाता है। न्यायालय हाजा के निर्णय प्रकरण सं0 05/13 दिनांक 30.09.2014 की पालना में चक 2 बीवाईएम बी मु0नं0 105/30 किला नं0 1 ता 23 की 22.14 बीघा भूमि के राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज किए गये इंतकाल से पूर्व की स्थिति बहाल के आदेश तहसीलदार खाजूवाला को किये जाते हैं। तहसीलदार राजस्व खाजूवाला को निर्णय की प्रति भेजकर पालना हेतु लिखा जावे। पत्रावली फैशलशुमार होकर दाखिल–दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक ..... को सरे इजलास सुनाया गया।

(श्योराम),
(आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी,
(खाजूवाला)